

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) व तत्त्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई पेपर पर प्रस्तुत करें)

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)  
शपथ पत्र (जन्म)

शपथ  
ग्रहता / ग्रहिता  
की हस्ताक्षरयुक्त  
पासपोर्ट साइज  
फोटो

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....  
(लड़का/लड़की/उभयलिंगी से सम्बन्ध लिखें).....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम).....ने एक जीवित लड़का/लड़की /उभयलिंगी जिसका नाम.....लिंग.....जन्म तिथि.....जन्म स्थान का पूर्ण पता.....जन्म स्थान का वार्ड नं.....पिता का नाम.....बच्चे के जन्म के समय माता/पिता का पता .....माता/पिता का स्थाई पता.....को.....शहर/गाँव में जन्म दिया है।

2. यह कि लड़का/लड़की/उभयलिंगी के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता—पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चर्चा कर दी गई है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/ करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर रखानीय रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मुहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) व तत्त्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई पेपर पर प्रस्तुत करें)

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

### शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ  
ग्रहता / ग्रहिता  
की हस्ताक्षरयुक्त  
पासपोर्ट साइंज  
फोटो

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....

(मृतक से सम्बन्ध लिखे).....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मृतक का नाम.....मृतक का लिंग.....मृत्यु तिथि.....

.....मृत्यु के स्थान का पूर्ण पता.....मृत्यु स्थान का  
वार्ड नं.....मृतक की माता का नाम.....(मृतक के  
पिता/पत्नी का नाम) .....मृतक का मृत्यु के समय का पता.....  
.....मृतक का रस्थाई पता .....

.....की मृत्यु .....शहर/गाँव में हो गई है।

2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।

3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।

4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/ करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

### सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

### आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मुहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(2) व तत्त्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(2) के तहत आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई पेपर पर प्रस्तुत करें)

(30 दिवस के बाद एवं एक वर्ष के भीतर जन्म की सूचना देने पर)  
शपथ पत्र (जन्म)

शपथ  
ग्रहता / ग्रहिता  
की हस्ताक्षरयुक्त  
पासपोर्ट साइज  
फोटो

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....  
. (लड़का/लड़की/उभयलिंगी से सम्बन्ध लिखे).....शपथ पूर्वक बयान  
करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम).....ने एक जीवित लड़का/लड़की/उभयलिंगी जिसका नाम.....लिंग.....जन्म तिथि.....जन्म स्थान का पूर्ण पता.....जन्म स्थान का वार्ड नं.....पिता का नाम.....बच्चे के जन्म के समय माता/पिता का पता .....माता/पिता का स्थाई पता.....को.....शहर/गाँव में जन्म दिया है।
2. यह कि लड़का/लड़की/उभयलिंगी के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चर्चा कर दी गई है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(2) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(2) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 50/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर जिला रजिस्ट्रार/ ब्लॉक सांचियकी अधिकारी मय मुहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(2) व तत्त्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(2) के तहत आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई ऐपर पर प्रस्तुत करें)

(30 दिवस के बाद एवं एक वर्ष के भीतर मृत्यु की सूचना देने पर)  
शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ  
ग्रहता / ग्रहिता  
की हस्ताक्षरयुक्त  
पासपोर्ट साइंज  
फोटो

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....  
(मृतक से सम्बन्ध लिखे).....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:-

1. यह कि मृतक का नाम.....मृतक का लिंग.....  
मृत्यु तिथि.....मृत्यु के स्थान का पूर्ण पता.....  
मृत्यु स्थान का वार्ड नं.....मृतक की माता का नाम.....  
(मृतक के पिता/पति/पत्नी का नाम) .....मृतक का मृत्यु के समय का पता.....मृतक का स्थाई पता .....  
की मृत्यु .....

शहर/गाँव में हो गई है।

2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(2) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(2) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 50/- लेकर रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर जिला रजिस्ट्रार/ ब्लॉक सांखियकी अधिकारी मय मुहर